वन संविदा नियम

क्र. 2388/दस/59 दिनांक 27.3.1959 (मध्य प्रदेश राजपत्र भाग 4(ग) दिनांक 27.3.1959 पृष्ठ 223) - वन अधिनियम 1927, (विधान क्र. 16 वर्ष 1927) की धारा 32, 41, तथा 76 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा 'वन संविदा' के विनियमित करने के लिये निम्न नियम बनाता है :

(1) वन संविदा नियम जो महाकौशल क्षेत्र में प्रभावशील है वही नियम राज्य के अन्य क्षेत्रों में लागू होगा। जैसा कि महाकौशल क्षेत्र में प्रभावशील है।

(2) वन संविदा नियम, जो महाकौशल में क्षेत्र में प्रवृत्त है वे नियम, आवश्यक परिवर्तन सहित, राज्य के संरक्षित वनों की संविदा के लिये पूरे राज्य में प्रवृत्त होंगे, जैसे ये नियम महाकौशल क्षेत्र के आरक्षित वनों के सम्बन्ध में प्रवृत्त है।

(3) ये नियम ऐसी सभी संविदा के लिये लागू होंगे जो इस नियमों के प्रभावशील होने के बाद या पूर्व में की गई हो।

(4) ऐस सभी नियम, जो इन विषयों पर पूर्ववर्ती राज्य जिसमें मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश, भोपाल तथा राजस्थान राज्य के सिरोंज क्षेत्र में प्रवृत्त थे एतद्द्वारा निरसित किये गये:

परन्तु ऐसे निरसित नियमों के अन्तर्गत की गई संविदा उन्हीं नियमों के प्रावधानों के अनुसार संचालित की जावेगी। जैसे कि यह नियम बनाये ही नहीं है।

वन संविदा नियम

अधिसूचना क्र. 178-450 दस-5 दि. 10.2.27 एवं 438-218 दास- दि. 6.4.27 अनुवादितयत: संविदा करने के लिये वन अधिकारियों और वन ठेकेदारों के मार्ग दर्शन के लिये, वन उपज के क्रय-विक्रय के लिये, वन संविदाओं के फार्मों के सरलीकरण करने के लिए, वन उपज में शासकीय अधिकार को सुरक्षित करने के लिए, आरक्षित वनों में निजी व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रखने के लिये राज्य शासन यह नियम भारतीय वन अधिनियम, 1878 की धारा 41, 76 (घ) एवं 85 के अन्तर्गत बनाती है। ये नियम 1 जलाई, 1927 से प्रभावशाली रहेंगे।

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम - इन नियमों को "वन संविदा नियम" कहा जावेगा।

2. सभी वन ठेके इन नियमों केअधीन माने जावेगें - सभी संविदा, जिसके अनुसार शासन, वन उपज, खरीददार को बेचता है, यथाशक्य, निम्न नियमों के, जहाँ तक लागू हो सकते हों, अधीन होगा तथा ये नियम, जहां तक लागू हों, वन अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों की तरह ही नहीं, बल्कि वन संविदा की शर्तों की तरह बन्धनकारी होंगे :

परन्तु वन अधिकारी, जो वन संविदा निष्पादित करता है, उसको संविदा में "आवश्यक प्रावधान" (Express Provision) जोड़कर, इन नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार है और जोड़कर 'आवश्यक प्रावधान' इन नियमों के विरूद्ध है वहाँ "आवश्यक प्रावधान" (Express Provision), अभिभावी (Prevail) होगा :

परन्तु राज्य शासन की अनुमति के बिना कोई असामान्य शर्तों वाली संविदा और पूर्व में की गई संविदा में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किये जावेगें।

3. परिभाषाएँ - इन नियमों में -

(1) "वन संविदा" (Forest Contract) से तात्पर्य ऐसी संविदा से है जिसमें शासन वन उपज को बेचना तथा क्रेता खरीदना स्वीकार करता है।

(2) "वन ठेकेदार" (Forest Contractor) से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो वन संविदा के अन्तर्गत 'वन उपज' क्रय करता है।

(3) "संविदा क्षेत्र" (Contract Area) से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो "वन संविदा" में सम्मिलित है।

4. ठेकेदार, उसके द्वारा खरीदे गये वन उपज का ही अधिकारी है - वन ठेकेदार, उनके द्वारा वन संविदा के अन्तर्गत खरीदी गई सामग्रियों के अतिरिक्त अन्य वन उपज के विनियोजन (Appropriate) या उपयोग (Use) का अधिकारी नहीं होगा; जब तक कि उसे उक्त संविदा में "विशिष्ट उपबन्ध" (Express Provision) या इन नियमों द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की जाती है।

5. वन संविदा ठेकेदार निजी अधिकारों (Private rights) का सम्मान करेगा - वन में प्रवेश सम्बन्धी तथा उपज के विनियोग के सम्बन्ध में वैधानिक रूप से निजी व्यक्तियों में निहित अधिकारों को मान्यता देने के लिये बाध्य है।

प्रचलन (Operation) को विनियमित करने के नियम जिनको वन संविदा के अन्तर्गत करना आवश्यक है

(1) सामान्य

6. वन संविदा क्षेत्र तक पहुँच अनुज्ञप्ति (Accessory License to Forest Contracts) - वन ठेकेदार, उसके नौकर तथा अभिकर्ता को, संविदा में विनिर्दिष्ट भूमि में जाने के लिए और वन संविदा के अन्तर्गत खरीदे हुए वनोपज के दोहन के लिये आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत करते हुए प्रवेश अनुज्ञप्ति, वन संविदा के साथ रहेगी :

परन्तु उक्त प्रवेश अनुज्ञप्ति इन नियमों और वन संविदा के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट शर्तों, और सीमाओं के अधीन मानी जावेगी और वन संविदा की स्वीकृति कथित शर्तों और सीमाओं (Limitations) की स्वीकृति मानी जावेगी।

7. समय, वन संविदा का सार (Essence) होगा - जहां, किसी वन संविदा की शर्तों द्वारा, यह स्वीकृत हो कि वन संविदा के अन्तर्गत खरीदे गये वन उपज का दोहन, निश्चित अवधि के दौरान केवल किया जा सकता है, समय उक्त संविदा का सार माना जावेगा और विनिर्दिष्ट समय के समाप्त होने पर, संविदा के अन्तर्गत ठेकेदार के अधिकार समाप्त हो जावेंगे और संविदा क्षेत्र की सीमा से बाहर नहीं निकाली गई वन उपज, पूर्णतयः शासन की सम्पत्ति हो जावेगी :

परन्तु, शासन की ओर से उक्त संविदा के सम्बन्धित इकरारनामा को निष्पादित करने के लिए अधिकृत अधिकारी को, उसके द्वारा लिखित कारणों से, ऐसी शर्तों और पटाये जो वाले प्रीमियम सहित, जो वह उचित समझे, संविदा की अवधि बढ़ाने का अधिकार होगा । वृद्धि करने की यह शक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि वह वन अधिकारी, स्थायी आदेश के अन्तर्गत, वृद्धि सहित पूर्ण अवधि की संविदा स्वीकृत करने के लिए सक्षम हैं।

8. वन अधिकारी की वनोपज की निकासी रोकने की शक्ति - जब शासन को देय वन संविदा की राशि किश्तों में देय हो, और वन मण्डलाधिकारी अन्तिम किश्त पटने के पूर्व, किसी भी समय ऐसा सोचना है कि ठेकेदार द्वारा ले जाई गई वनोपज की कीमत, पूर्व में जमा की गई किश्तों की राशि से अधिक होती है, तब वन मण्डलाधिकारी, क्षेत्र से वनोपज की निकासी रोक सकता है, जब तक ठेकेदार ऐसी राशि नहीं पटा देता, जो उसके विचार से अधिक परिवहन की गई वनोपज का मूल्य चुकाने के लिए यथेष्ट हो :

परन्तु यदि किसी वन अधिकारी की राय में, जो परिक्षेत्र अधिकारी (Range Officer) के पद से अनिम्न न हो, धारा 8 के उल्लंघन के लिये, तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक हो, तो ऐसा वन अधिकारी -

(i) ठेकेदार या उसके अभिकर्ता को (यदि कोई है) लिखित सूचना देगा, जिसमें उस आधार का लेख करेगा, जिसके कारण यह निर्णय लिया और ठेकेदार और उसके अभिकर्ता को निर्देशित करेगा कि वे संविदा क्षेत्र से वनोपज का परिवहन बन्द कर दें।

(ii) वह इस तथ्य का प्रतिवेदन वन मण्डलाधिकारी को, उनके आदेश हेतु प्रस्तुत करेगा, जिस पर वह जैसा उचित समझे, आदेश देगा।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिये निकास की गई वनोपज का मूल्य उस आधार से लगाया जावेगा, जिस दर से किश्त पटाता है, न कि ठेकेदार को बाजार में मिलने वाले मूल्य के आधार से।

टिप्पणी - वन मण्डलाधिकारी को नियम 8 के अन्तर्गत, पटाई गई किश्त से अधिक मूल्य का वनोपज परिवहन करने पर, आगे वनोपज निकासी पर रोक लगाने का अधिकार है।

देखें- (जे एल. जे. ओ. 1972 पृष्ठ 316 अख्तर खान वि. वन मण्डलाधिकारी)

(म. प्र. ए. आई. आर. 1977 पृष्ठ 90 जुगल किशोर वि. म.प्र. राज्य)

9. वन ग्रामवासियों का नियोजन - जब किसी वन संविदा के अन्दर स्वीकृत कार्य, श्रमिक के नियोजन से सम्बन्ध हो, यदि वन मण्डलाधिकारी द्वारा अपेक्षित किया जावे, तो ठेकेदार अन्य श्रमिकों की अपेक्षा संविदा क्षेत्र के अन्दर या पास के, वन ग्राम के निवासियों को नियोजित करने में प्राथमिकता देगा, बशर्ते ऐसे वन ग्राम उस क्षेत्र से विवेकपूर्ण दूरी पर पहुंच योग्य हैं।

वन ठेकेदारों द्वारा, व ग्रामवासियों का नियोजन ऐसी दरों व शर्तों पर होगा, जो वन ग्रामों के प्रबन्धन के सम्बन्ध में राज्य शासन के स्थायी आदेशों के अन्तर्गत, समय-समय पर निर्धारित की जावे।

10. अनुपयुक्त व्यक्ति नियोजित नहीं होंगे - वन ठेकेदार, उसकी वन संविदा के अन्तर्गत किसी कार्य पर, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वन विभाग से बरखास्त (Dismissed) किया हो, नियोजित नहीं करेगा और ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसका विरोध वन मण्डलाधिकारी, अनुपयुक्त मानकर करें, नियोजन समाप्त कर देगा।

11. वन ठेकेदार अपने नौकरों एवं अभिकर्ताओं को विशिष्ट चिन्ह (Badge) प्रदान करेगा - यदि वन मण्डलाधिकारी द्वारा लिखित रूप में अपेक्षित किया जाने, तो वन ठेकेदार, अपने नौकरों और अभिकर्ता को विशिष्ट चिन्ह (Badge) हस्ताक्षर युक्त अधिपत्र (Signed Warrant) या अन्य ऐसी वस्तु, जो वन मण्डलाधिकारी द्वारा अनुमोदित की जावे, प्रदाय करेगा जिससे वे तुरन्त ही पहिचाने जा सकें। संविदा क्षेत्र में उपरोक्त प्रतीक चिन्ह साथ न रखने पर नौकर या अभिकर्ता को अन्याक्रान्ता (Tresspasser) के रूप में व्यवहार किये जो योग्य होगा।

12. वन उपज की निकासी के लिये पास

(1) वन ठेकेदार, संविदा क्षेत्र से कोई वन उपज तब तक नहीं निकालेगा, जब तक उसके साथ, ठेकदार या उसके अधिकृत अभिकर्ता (Authorized Agent) द्वारा हस्ताक्षरित तथा हिन्दी भाषा (देवनागरी लिपि) में लिखित, पास न होगा।

(2) उक्त पास परिक्षेत्र कार्यालय से, उनका मूल्य पटाने पर प्राप्त होंगे। ये पास तीन पर्तों में होंगे तथा पुस्तिका के रूप में बँधी जिल्द में होंगे। प्रत्येक पुस्तक पर पहिचान संख्या अंकित होगी और पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर अनुक्रमानुसार नम्बर डले रहेंगे।

(3) तीनों पर्तों में प्रथम पर्त उस व्यक्ति को दी जायेगी, जो ले जाने वाली वन उपज का प्रभारी होगा। दूसरी पर्त ठेकेदार नियम 16 के अन्तर्गत, प्रस्तुत करने वाले निकासी के गोशवारे (Abstract) के साथ प्रस्तुत करेगा। तीसरी पर्त पुस्तक में ही रहेगी जो ठेकेदार के पास रहेगी।

(4) जब वन संविदा समाप्त होती है तो पासों की कोरी पुस्तकें व पृष्ठ परिक्षेत्र अधिकारी को वापस किये जावेंगे और ठेकेदार को उसका मूल्य वापस किया जाएगा।

13. वनोपज को निर्धारित मार्ग से ले जाया जावेगा और निर्धारित डिपो में जाँच करावेगा - वन ठेकेदार, अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों में विनिर्दिष्ट या वन संविदा में विनिर्दिष्ट मार्ग से अतिरिक्त, अन्य मार्ग से वनोपज को नहीं ले जाएगा, और उसके द्वारा परिवहन की जा रही वनोपज को ऐसे डिपो या स्थान में, जो उसी तरह विनिर्दिष्ट की जाये, वहां जाँच एवं परीक्षण करायेगा।

14. वनोपज को दिन के समय निकासी करेगा - वन मण्डलाधिकारी की विशिष्ट अनुमति के बिना, वन ठेकेदार, संविदा क्षेत्र से किसी वन उपज को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व, निकास नहीं करेगा।

15. नुकसानी के लिए वन ठेकेदार की जिम्मेदारी - (1) आरक्षित वनों में वन ठेकेदार उसके नौकरों, अभिकर्त्ता द्वारा किये जाने वाली किसी नुकसानी के लिये वन ठेकेदार जिम्मेदार रहेगा। उक्त नुकसानी का मुआवजा, वन मण्डलाधिकारी द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा जिसका निर्णय पंच का निर्णय माना जाएगा और पक्षकारों के लिए अन्तिम एवं बन्धकारी होंगे किन्तु वह नियमों के अन्तर्गत केवल वन संरक्षक के समक्ष अपील के अधीन होगा।

स्पष्टीकरण - (1) इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, अभिकर्ता में उप-ठेकेदार या अन्य कोई व्यक्ति, जिसको वन संविदा के अन्तर्गत बिक्री शुदा वनोपज को ले जाने के लिए अधिकृत करते हुए वन ठेकेदार ने

अनुज्ञप्ति (License) या अनुज्ञा (Permit) दी है, को शामिल माना जाएगा। परन्तु ऐसा व्यक्ति नहीं सम्मिलित माना जायेगा जिसको नियम 33 उपनियम (2) के अनुसार ठेकेदार ने वन ठेकेदार ने वन संविदा के अन्तर्गत के अपने सभी अधिकारों को सौंप दिया है।

(2) इस नियम के अन्तर्गत, क्षति के रूप में मूल्यांकित कोई राशि, राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूली योग्य होगी और वन मण्डलाधिकारी द्वारा दिया प्रमाण-पत्र कि उक्त राशि बकाया है, वसूली के लिये अधिकृत राजस्व अधिकारी द्वारा सही माना जावेगा।

16. वन ठेकेदार हिसाब रखेगा और गोशवारा (Abstract) प्रस्तुत करेगा - वन ठेकेदार, वन मण्डलाधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रपत्रों में, उसके द्वारा संविदा क्षेत्र से निकाली गई विभिन्न प्रकार की वन उपज की मात्रा का हिसाब रखेगा और ऐसा हिसाब वन मण्डलाधिकारी द्वारा निर्देशित, ऐसे कार्यालय में, तथा ऐसे अन्तराल में जो एक माह से कम न हो, जैसा कि वन संविदा में विनिर्दिष्ट हो, उक्त हिसाब का गोशवारा (Abstract) पेश करेगा।

(2) विशिष्ट - खड़े वृक्षों की संविदा के लिये विशेष नियम

17. पातन का तरीका

(1) वन, ठेकेदार, जिसने खड़े वृक्ष खरीदे हैं, वह अपनी संविदा के अन्तर्गत उसके द्वारा खरीदे गये सभी वृक्षों को काटेगा और ले जाएगा।

(2) पातन सावधानी से, ध्यानपूर्वक तथा चतुर कारीगर के समान तरीके से किया जाएगा।

(3) जब तक वन मण्डलाधिकारी अन्यथा लिखित आदेश द्वारा निर्देशित न करे, सभी वृक्षों की कटाई इस प्रकार की जावेगी कि उनका ठूँठ जमीन से 3 इंच (7.6 से.मी.) से अधिक ऊँचा नहीं होगा, तथा छाल को ठूँठ से लगी होनी चाहिये तथा उसको नुकसान नहीं पहुँचना चाहिये।
लेकिन जब वृक्षों के तने पर हथौड़े का निशान लगा हो तो ऐसा निशान पूरा का पूरा छोड़ दिया जाएगा।

(4) वन मण्डलाधिकारी, कूप में आगे पातन रोक सकता है, जब तक कि उपनियम (2) एवं (3) का पालन पिछली कटाई में उसकी संतुष्टि लायक नहीं हो जाता है।

18. खण्डों द्वारा कार्य करने की योजना - इस नियम के प्रयोजन के लिये, खड़े वृक्षों की बिक्री की संविदा के अन्तर्गत, संविदा क्षेत्र में दिये जाने वाले कार्यों को दो स्तरों में विभाजित किया जाता है -

(अ) वृक्षों की कटाई कार्य

(ब) ढुलाई कार्य - कटाई कार्य के अन्तर्गत, वृक्ष के ठूँठ के पास ही, जहां पातन हुआ है, पातन और परिवर्तन की सभी प्रक्रियायें जैसे छांटना, डालें काटना (Trimming), परिष्कृत करना (Dressing), टुकड़े करना (Splitting), या चिराई करना (Sawing) आदि सम्मिलित है जो वृक्ष को पातन स्थल से हटाये बिना हो सकती है।

(ब) ढुलाई कार्य (Carting) - ढुलाई कार्य के अन्तर्गत पातन किये सभी वृक्षों या उसके परिवर्तित उत्पादनों को कटाई स्थल से (जहां वृक्ष काटा गया) परिवहन करने सम्बन्धी सभी कार्य सम्मिलित हैं चाहे वह डिपो, में चिराई मिल में या अन्य गंतव्य स्थान (Destination) में हों।

(2) वन मण्डलाधिकारी संविदा क्षेत्र, (जिसे इन नियमों के प्रयोजन के लिये आगे से संक्षप्ति में 'कूप' (Coupe) कहा जाएगा) में जितने वह उचित समझे, अधिकतम आठ खंडों (Sections) में विभाजित करेगा। (सामान्यतयः चार खण्ड होते हैं) और उसकी निम्नलिखित नियमों के अनुसार, इन धाराओं के अन्तर्गत, इन खण्डों के अन्दर कार्यों के विनियमन और सीमित करने का अधिकार होगा-

(अ) खण्डों का अंकन इस प्रकार होगा कि पूरे कूप में क्रमानुसार संख्या से अंकित खण्ड पास-पास होंगे और खंडों की संख्या लगातार प्रगति में रहेगी (जैसे सेक्शन 1 से 2 की सीमा लगी रहेगी, सेक्शन दो से सेक्शन तीन की सीमा लगी रहेगी इस प्रकार क्रम चलेगा)।

(ब) जब वन ठेकेदार अपना कार्य प्रारम्भ करता है, तब उसे प्रथम दो खण्ड (Section) एक एवं दो में कटाई करने की अनुमति दी जाएगी। जैसे ही वह सेक्शन 3 में कटाई प्रारम्भ करता है तो यह

माना जाएगा कि उसने सेक्शन 1 में समस्त खड़े वृक्षों से अपना अधिकार समर्पित कर दिया है। जब वह सेक्शन चार में कटाई प्रारम्भ करता है, तो यह माना जाएगा कि उसने सेक्शन 'दो' में खड़े समस्त वृक्षों से अपना अधिकार समर्पित कर दिया है। इसी क्रमानुसार पूरे कूप में कटाई कार्य होगा।

(स) जैसे ही वन ठेकेदार कटाई कार्य प्रारम्भ करता है, तो वह परिवहन का कार्य भी प्रारम्भ कर सकता है। किन्तु जब वह सेक्शन 'चार' में कटाई प्रारम्भ करता है तो यह माना जायेगा कि उसने खण्ड 1 की समस्त वन उपज में, संविदा के अन्तर्गत अपने अधिकारों को समर्पित कर दिया है जब वह सेक्शन 5 में कटाई प्रारम्भ करता है तो यह माना जावेगा कि उसने सेक्शन (2) के अपने समस्त अधिकारों को समर्पित कर दिया है और इसी प्रकार पूरे कूप में कार्य होगा।

(3) वन मण्डलाधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, उल्लिखित कार्यक्रम के पूर्व में ही किसी विशिष्ट वर्ग की इमारती लकड़ी को काटने व परिवहन करने की अनुमति, वन ठेकेदार को दे सकता है।

19. इमारती लकड़ी को चिन्हित करने की वन अधिकारी की शक्ति - वन मण्डलाधिकारी और उसके अधीनस्थ को कूप से निकाले जाने के पूर्व इमारती लकड़ी में चिन्ह लगाने का अधिकार होगा।

20. पातन किये गये वृक्षों के सम्बन्ध में विशेष नियम -

(1) ये नियम किसी ऐसी संविदा पर लागू होंगे जहाँ वृक्ष, वन विभाग द्वारा, या विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाले कोई अभिकरण द्वारा गिराये गए हों, और केवल कटे हुए वृक्ष वन ठेकेदार को बेचे गये हों।

(2) वन ठेकेदार, जिसने कटे हुए वृक्ष खरीदे हैं, वह अपनी संविदा के अन्तर्गत खरीदे सभी वृक्षों को ले जाएगा।

(3) नियम 18 व 19 के प्रावधान ऐसी संविदा के लिये लागू होंगे, जहां तक वे लागू हो सकें।

21. बांस के लिये विशेष नियम -

(1) संविदा क्षेत्र, वन मण्डलाधिकारी द्वारा, किसी भी संख्या के खंडों में विभाजित किया जा सकता है और वन मण्डलाधिकारी निर्देश दे सकता है, कि अगले खंड में बांस का ले जाना प्रारम्भ करने के पूर्व, पिछले खंड से बांस का परिवहन पूर्ण करना होगा।

(2) झिरे (Clump) के सभी सूखे बांस काटे जायेंगे।

(3) एक वर्ष से कम उम्र के बांस नहीं काटे जायेंगे।

(4) प्रत्येक झिरे (Clump) में एक वर्ष से अधिक उम्र वाले कम से कम 12 हरे बाँस छोड़े जायेंगे।

(5) बांस के ठूँठ 30 से.मी. से कम तथा 60 से.मी. से अधिक ऊँचाई के नहीं होंगे।

22. लाख के लिये विशेष नियम -

(1) लाख की खरीदी के लिये वन संविदा निम्न प्रावधानों के अन्तर्गत होगी।

(2) वन मण्डलाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना, वन ठेकेदार, कुसुम (Schleicheratryuga), पलास (Butea frondosa), घोंट (Zizyphus xylophyra), बेर (Zizyphus jujuba) और अन्य वृक्ष जिन पर लाख उत्पन्न हो सकती है, के अतिरिक्त किसी अन्य वृक्षों को नहीं काटेगा और लाख लगने वाले वृक्ष की शाख तराशी (Trimming) इस सीमा तक की जायेगी जो लाख के प्रजनन (Propagation), संवर्द्धन (Cultivation) और संग्रहण (Collection) के लिये आवश्यक हो।

(3) संविदा की अन्तिम उपज (Harvest) लेते समय लाख धारण करने वाले कुल वृक्षों में से कम से कम आधे लाख लगने वृक्षों की लाख नहीं निकाली जायेगी और उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जायेगा।

टीप - भविष्य में लाख के प्रजनन एवं सवंर्धन के उद्देश्य से ऐसे वृक्ष छोड़े जाते हैं।

23. रूसा तेल के लिये विशेष नियम -

(1) जब वन संविदा रूसा या तिरवारी घास (Andropogan Schoenanthus) से तेल निकालने सम्बन्धी हो तो निम्नलिखित विशेष प्रावधान लागू होंगे।

(2) वन ठेकेदार, उसके नौकर या अभिकर्ता तेल निकालने के यंत्र (Still) में उपयोग हेतु सूखा ईंधन एकत्रित करने के अधिकारी होंगे। और यन्त्र के पास झोपड़ी बनाने के लिये घास व लकड़ी एकत्रित करने के अधिकारी होंगे।

परन्तु वन मण्डलाधिकारी, ऐसी शर्तों के अधीन जैसा वह उचित समझे, ठेकेदार को ईंधन के लिये गीली लकड़ी काटने की अनुमति दे सकता है।

(3) वन मण्डलाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना वन ठेकेदार, किसी आरक्षित वन के अन्दर या आरक्षित वन से लगे क्षेत्र में तेल निकालने का संयंत्र नहीं लगाएगा। वह संयंत्र वन मण्डलाधिकारी द्वारा दर्शाये स्थलों पर ही स्थापित करेगा।

(4) वन ठेकेदार, अपना संयंत्र ऐसे स्थल पर स्थापित नहीं करेगा तथा उसकी गंदगी (Refuse) इस प्रकार प्रवाहित नहीं करेगा जिससे किसी ग्राम का जल प्रदाय स्रोत दूषित हो जावे।

(5) वन मण्डलाधिकारी प्रथम जनवरी से एक जून तक की अवधि में, उस वन क्षेत्र में, जो रूसा तेल निकालने की संविदा में सम्मिलित हो, वनों को जलाने का अधिकार रखता है और इस प्रकार आग लगाने से तिरवारी घास को हुई क्षति के लिये शासन जिम्मेदार नहीं होगा।

24. छिन्दी वृक्ष के लिये विशेष नियम -

(1) जहाँ छिन्दी वृक्ष से रस निकालने की संविदा हो वहाँ निम्नलिखित विशेष प्रावधान लागू होंगे -

(2) भूमि से 150 से.मी. से कम में या केन्द्रीय मेखला के आधार से 30 से.मी. के अन्दर या पूर्व में किए गये किसी छेदन की चोटी से 45 से.मी. पर कोई छेदन (Incision) नहीं किया जाएगा।

किन्तु अनिवार्य मामलों में और लिखित में दिये कारणों से जिलाध्यक्ष, भूमि से 120 से.मी. से 35 से.मी. पर छेद बनाने की अनुमति दे सकता है।

(3) छेद की अधिकतम गहराई, वृक्ष के व्यास से एक तिहाई से अधिक नहीं होगी, और अधिकतम चौड़ाई वृक्ष की परिधि के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी। दो नाप उस स्थल पर लिये जाएंगे जहां छेद बनाया गया है।

(4) कोई भी वृक्ष में, एक रस निकालने का मौसम (Tappling Season) में एक से अधिक बार टोंटी नहीं लगावेगा तथा वर्ष में 6 माह से अधिक समय के लिये टोंटी नहीं लगाई जावेगी और पुनः टोंटी लगाने के पूर्व एक रस निकालने का मौसम समाप्त करना होगा।

(5) ठेकेदार वृक्ष के शिखर के नीचे के पत्ते तोड़ सकता है, परन्तु ऊपर से निकली केन्द्रीय मेखला वृद्धि में प्रत्येक शिखर में कम से कम आठ पत्ते अवश्य छोड़ेगा।

(6) ठेकेदार के छेदन के समय, काटे गये पत्तों को न तो हटावेगा, व बेचेगा या अन्य प्रकार से व्ययन करेगा।

(7) ठेकेदार संविदा के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व, आबकारी विभाग से अनुज्ञप्ति (License) प्राप्त करेगा तथा आबकारी अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने नियम तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करने हेतु बाध्य होगा।

25. गोंद के लिये विशेष नियम - जहाँ गोंद निकालने की संविदा हैं, ठेकेदार गोंद के बहाव को बढ़ाने के लिये, वृक्ष में किसी प्रकार आघात नहीं करेगा या क्षति नहीं पहुँचावेगा।

26. हर्रा के विशेष नियम - जहाँ संविदा हर्रा फल के संग्रहण की है, वन ठेकेदार फल एकत्रित करने में वृक्ष को नुकसान नहीं पहुँचावेगा।

26-A. बही लकड़ी के लिये विशेष नियम - जब संविदा, बहती हुई पकड़ी गई, किनारे लगी, भटकी हुई या डूबी हुई लकड़ी के सम्बन्ध में हो तो निम्न प्रावधान लागू होंगे-

(1) वन ठेकेदार वह लकड़ी नहीं संग्रहीत करेगा जिसको राज्य शासन ने अधिनियम की धारा 45 के प्रावधानों अन्तर्गत छूट दी हो।

(2) इस प्रकार संग्रहीत इमारती लकड़ी की निर्धारित डिपों में सही ढंग से थप्पी (Stack) लगाई जावेगी। उक्त इमारती लकड़ी की डिपो में आमद दर्शाने हेतु एक रजिस्टर रखा जावेगा। 14 दिन के अन्तराल में ठेकेदार आमद रजिस्टर का गोशवारा (Abstract) वन मण्डलाधिकारी कार्यालय में

प्रस्तुत करेगा। बिना उक्त अधिकारी (वन मण्डलाधिकारी) की लिखित अनुमति के कोई लकड़ी डिपो से हटाई (निकासी) नहीं जावेगी या डिपो से अन्य ठेकेदार को हटाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(3) वन मण्डलाधिकारी, वन ठेकेदार को, समय-समय पर ठेकेदार द्वारा संग्रहित इमारती लकड़ी के कब्जा वापसी के सम्बन्ध में लाये गये वाद, स्वत्वों (Claims) के परिणाम (फैसले) से अवगत करावेगा। यदि कोई व्यक्ति, सम्बन्धित इमारती लकड़ी का कब्जा पाने का अधिकारी घोषित किया जाता है और वह धारा 51 में निर्धारित निस्तारण फीस (Salvage fee) ठेकेदार को भुगतान करता है, तो ठेकेदार वह लकड़ी उस व्यक्ति को डिपो में सौंप देगा तथा उपनियम (2) एक अन्तर्गत अपेक्षित, वन मण्डलाधिकारी की अनुमति पत्र लाने पर डिपो से उसे इमारती लकड़ी ले जाने देगा।

(4) केवल वही इमारती लकड़ी ठेकेदार को बिकी हुई मानी जावेगी जो अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत उसमें निहित (Vest) हो सके।

(5) वन ठेकेदार द्वारा, जिस इमारती लकड़ी को निर्धारित (Prescribed) डिपो में संग्रहित एवं थप्पीकरण नहीं की हो, उस पर या उसके सम्बन्ध में वन ठेकेदार का कोई स्वत्व (Claim) नहीं रहेगा।

27. घास कटाई, चराई सम्बन्धी निविदा - जहाँ वन संविदा घास कटाई, घास का विक्रय का अधिकार एवं पशु चराने की अनुमति देती है वहां निम्नलिखित विशेष प्रावधान लागू होंगे -

(1) वन संविदा क्षेत्र में, वन ठेकेदार भेड़, बकरी और ऊँटों को चराने की अनुमति नहीं देगा।

(2) संविदा क्षेत्र में, उस स्थान में जो "चारा आरक्षण क्षेत्र" (Fodder Reserve) है, उस क्षेत्र में 2 एकड़ (0.8 हेक्टेयर) क्षेत्र के लिए एक गाय-बैल के हिसाब से पशु चराई प्रतिबन्धित (Restrict) करेगा।

(3) अन्य क्षेत्रों में वह प्रति एकड़ (0.4 हेक्टेयर) में एक गाय या बैल के हिसाब में पशु चराने की संख्या प्रतिबन्धित करेगा।

(4) यदि यह अपनी संविदा की शर्तों के द्वारा वह भैंसे चराने के लिए अधिकृत है, तब उपनियम (2) एवं (3) के प्रयोजनों के लिये एक भैंस या भैसा दो गाय बैलों के समतुल्य माना जावेगा।

वन संविदा की शर्तों के भंग होने के परिणामों को विनियमित करने के नियम

28. संविदा की शर्तें होने पर, ठेका समाप्ति एवं दण्ड - (1) प्रत्येक वन संविदा, संलग्न प्रारूप में लिखित रूप में होगी और उसमें ऐसा प्रावधान जिससे वन ठेकेदार अपने आपको संविदा या उसके अन्तर्गत सभी कर्तव्यों और कार्यों को करने के लिये प्रतिबन्धित करेगा और प्रसंविदाएँ (Convenants) कि वह उसके नौकर और अभिकर्ता उक्त संविदा द्वारा, या उसके अन्तर्गत निषेध किये सभी कार्यों से बचा रहेगा, का समावेश होगा।

(2) कि उक्त अनुबन्ध (Stipulation) के भंग होने की दशा में, देय राशि, जो वन संविदा में लिखी जावेगी, वह राशि ठेकेदार द्वारा पटाई जाने वाली ठेके के कुल मूल्य के एक चौथाई से अधिक नहीं होगी और अधिनियम की धारा 82 और नियमों के प्रावधान के अनुसार वसूली योग्य होगी :

परन्तु यदि ठेके का कुल मूल्य निश्चित की गई राशि नहीं हैं (जैसे गोंद के ठेके में प्रति क्विंटल की दर से गोंद की निविदा ली जाती है तथा जिसनी मात्रा प्रदान की जाती है उसका मूल्य वसूल किया जाता है) तब संविदा निष्पादन करने वाला वन अधिकारी, कुल राशि का प्राक्कलन इस प्रकार बनावेगा, मानो संविदा का पूर्णरूपेण पालन हुआ है, और ऐसा प्राक्कलन ठेकेदार द्वारा पटाये जाने वाला कुल मूल्य, इस उपनियम के प्रयोजनों के लिये माना जावेगा।

(3) जब तक नियम 20 (3) के अन्तर्गत संविदा समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक यह राशि ठेकेदार से वसूल नहीं की जावेगी और वह भी संविदा को निष्पादित करने वाले अधिकारी के लिखित आदेश से होगी।

नियम 29. शर्तों का निर्वहन न करने पर संविदा की समाप्ति - (1) यदि ठेकेदार अपनी संविदा से लिये ठेके का मूल्य पटाने में व्यतिक्रम करता है या उसको कोई किश्त पटाने में व्यतिक्रम करता है या संविदा की

किसी शर्त को भंग करता है, तब शासन की और से संविदा को निष्पादित करने वाला अधिकारी द्वारा, वन संविदा समाप्त की जा सकती है।

(2) संविदा समाप्ति की सूचना, वन ठेकेदार को लिखित रूप में उसको स्वतः देकर या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजकर की जावेगी। संविदा समाप्ति के बाद, ठेकेदार के संविदा सम्बन्धी अधिकार, प्रवेश अनुज्ञप्ति सहित समाप्त हो जावेंगे और संविदा क्षेत्र में शेष सभी वन उपज तथा नियम 13 में विनिर्दिष्ट डिपो में शेष बची सभी वन उपज शासन की एकमात्र सम्पत्ति हो जावेगी।

(3) उक्त समाप्ति पर -

(अ) संविदा के अन्तर्गत पटाये गये ठेके के मूल्य या उसकी किश्त के रूप में पटाई गई सभी राशि रखने का,

(ब) वन संविदा की समाप्ति की तिथि तक, ठेके का मूल्य या उसकी जो किश्त बकाया है और ठेकेदार द्वारा नहीं पटाई गई है, उसको राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने का,

(स) नियम (28) के अन्तर्गत वसूल की जाने योग्य शस्ति राजस्व की बकाया (Arrear of Land Revenue) के रूप में वसूल करने का,

(द) नियम 15 के अन्तर्गत मूल्यांकित की जाने योग्य नुकसानी को वसूल करने का,

(ई) उस समाप्ति के ठेके के मूल्य का कोई अंश जो तत्पश्चात् देय होगा, को राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने का, या संविदा समाप्ति पर बकाया राशि की वसूली हेतु संविदा के पुनः विक्रय करने पर बकाया राशि से जितनी कम राशि प्राप्त हो उसको राजस्व की बकाया राशि के बतौर वसूल करने के लिए शासन अधिकृत होगा।

नोट : वन संविदा के नियम 28 तथा 29 उस समय लागू होते हैं जब लिखित अनुबन्ध निष्पादित हो जाता है। के.पी.चौधरी वि. म.प्र. शासन 1966 एम. पी. एल. जे 1057।

उदाहरण : किसी ठेके में संविदा समाप्ति के समय 40,000/- रुपयों की अगली किश्तें देय हैं, यदि संविदा क्षेत्र में शेष वनोपज का नीलाम 35,000/- हजार रुपये में होता है, तो शेष 5,000/- धारा 29 (ई) के अनुसार बकाया राजस्व के बतौर ठेकेदार से वसूली योग्य होगा।

टिप्पणी : जब संविदा के पालन के लिये निश्चित अवधि हो, तथा वन ठेकेदार द्वारा क्रय मूल्य की किश्तों का पटाने की निश्चित तिथि हो, तब वन ठेकेदार द्वारा किश्तों का पटाया जाना संविदा पालन की पूर्व आवश्यक शर्त है, और यदि ठेकेदार द्वारा उक्त क्रम अनुसार किश्त नहीं पटाने के फलस्वरूप संविदा को निष्पादित करने वाले अधिकृत अधिकारी द्वारा नियम 29 द्वारा संविदा समाप्त की जाती है तो वन ठेकेदार का धारा 29(2) के तहत संविदा से अधिकार समाप्त हो जाता है और संविदा क्षेत्र में, शेष वन उपज शासन की सम्पत्ति हो जाती है।

(देखें J.L.J. 1972, पृष्ठ 418, म. प्र. शासन वि. सरदार बूटासिंह)

30. संविदा समाप्ति के बिना शर्तों के भंग के लिये अन्य शास्ति -

(1) वन ठेकेदार अपनी किसी शर्त को भंग करता है किन्तु उसके कारण उसकी संविदा समाप्त करना प्रस्तावित नहीं है, तो नियम (28) में उपबन्धित पूरी शास्ति उससे वसूल नहीं की जावेगी, परन्तु वन मण्डलाधिकारी को भ. व. अ. 1927 की धारा 82 के अन्तर्गत उसका अंश, जो पाँच सौ रुपये से अधिक न हो, वसूल करने का अधिकार होगा।

(2) वन मण्डलाधिकारी का इस नियम के अन्तर्गत पारित आदेश, वन संरक्षक के समक्ष अपील योग्य होगा। यदि आदेशित राशि दो सौ रूपये से अधिक है, अन्यथा वह अन्तिम होगा।

(3) इस नियम के अन्तर्गत, आदेशित राशि के पटाये जाने पर, ठेकेदार पर उस शर्त के भंग के लिये (जिसके लिये शास्ति पटाई है) आगे की कार्यवाही से मुक्त कर दिया जावेगा किन्तु धारा 15 के अन्तर्गत आरक्षित वन में किये नुकसान के दायित्व से मुक्त नहीं होगा।

टिप्पणी : यदि ठेकेदार संविदा भंग को चुनौती देता है तो मध्यस्थ के निर्णय के बिना शास्ति नहीं लगाई जा सकती। (देखें M.P.L.J/1966, नोट 19 संतनसिंह वि. मुख्य वन संरक्षक)

31. अकाल की स्थिति में वन संविदा की समाप्ति - राज्य शासन के यह निर्णय लिये जाने की दशा में कि वन संविदा के अन्तर्गत बिक्री शुदा सभी या कोई वन उपज को, संविदा क्षेत्र या उसके किसी भाग में, नि:शुल्क एकत्रीकरण के लिये खुला रखना आवश्यक है, तब उक्त संविदा इस प्रकार खुलने की तिथि से समाप्त हो जावेगी। वन ठेकेदार, उक्त समाप्ति के द्वारा, उसको हुए नुकसान के लिये मुआवजा (Compensation) पाने का अधिकारी होगा, और उक्त मुआवजा संभाग आयुक्त (Commissioner) द्वारा वन संरक्षक की राय से निर्धारित किया जावेगा।

वन संरक्षक के सहमत न होने पर यह मुआवजा राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

यह मुआवजा, ठेकेदार जितनी वनोपज संग्रह करने से वंचित हुआ है, उसका प्राक्कलन कर, ठेके के कुल मूल्य में कुल वनोपज जो प्राप्त होती, का अनुपात कर, उस अनुपात में देय होगा।

उदाहरण : किसी ठेकेदार ने किसी संविदा क्षेत्र में अचार संग्रहण करने का ठेका लिया है। उस संविदा क्षेत्र में 500 क्विंटल अचार संग्रहण होना अनुमानित है और ठेका 50,000/- रुपये में लिया है। ठेका समाप्ति के समय तक वह 400 क्विंटल अचार संग्रहण कर सका है तो उसे अनुमानित 100 क्विंटल अचार का मुआवजा 10,000/- प्राप्त होने की पात्रता रहेगी।

विविध नियम

32. प्राकृतिक विपदा या तीसरे व्यक्ति के किये कार्य से हुई क्षति का उत्तरदायी नहीं - आग, तूफान, रोग, संक्रामण रोग, बाढ़, अकाल या अन्य प्राकृतिक विपदा या तीसरे व्यक्ति द्वारा किये गये गलत कार्य, या संविदा के अन्तर्गत खरीदी गई वनोपज में पोलापन (Unsoundness) या टूट (Breakage) या अनुपयोगिता के कारण हुई क्षति के लिये वन ठेकेदार किसी मुआवजे का अधिकारी नहीं होगा।

33. वन संविदा का समनुदेशन

(1) नियम के अनुसार संविदा क्षेत्र से लाई गई और नियम 13 के अन्तर्गत स्थापित डिपो में जाँच हुई, सभी वन उपज ठेकेदार के एकमात्र अधिकार में रहेगी।

(2) वन ठेकेदार, कूप से या संविदा क्षेत्र से नहीं निकाली वन उपज भी दूसरे व्यक्ति को सौंप सकता है (Assign) लेकिन ऐसा सौंपना (Assignment) तब तक वैध नहीं होगा, जब तक की संविदा निष्पादित करने वाले अधिकारी की लिखित पूर्व स्वीकृति से नहीं किया गया हो। स्वीकृति देने वाला अधिकारी, यदि उसकी राय में ऐसा सौंपना शासन के हित या सार्वजनिक राजस्व (Public Revenue) के हित में न हो तो उसे स्वीकृति न देने का अधिकार होगा।

34. रिश्तेदारों की सूची - वन ठेकेदार, वन संविदा निष्पादित करने के पूर्व, अपने सभी रिश्तेदारों की सूची तथा उनसे रिश्ता बताते हुए, जो वन विभाग में सेवारत हैं, निष्पादन करने के लिये अधिकृत वन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

वन उपज की खरीदी एवं बिक्री के लिये संविदा का प्रारूप

(नियम 28)

यह करार आज दिनांक ..... मास ..... सन् ..... प्रथम पक्ष ..... के मार्फत कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे शासन कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में उनके किसी उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष श्री ..... आत्मज ..... निवासी ..... (जिन्हें इसके आगे वन ठेकेदार कहा गया है जिस अभिव्यक्ति में उसके वारिस, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभीहस्तांकिती सम्मिलित होंगे) के मध्य किया जाता है।

अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है -

(1) नीचे दी गई प्रथम अनुसूची में वर्णित वन उपज (इसके पश्चात् वन उपज कहा जायेगा) जो कथित अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में स्थित है (इसके पश्चात् संविदा क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट है) को इसके पश्चात् लिखित शर्तों पर राज्यपाल वन ठेकेदार को बेचने का करार करता है और वन ठेकेदार खरीदने का करार करता है।

(2) इस संविदा के अन्तर्गत बेचे जाने वाले कथित वन उपज की मात्रा इस करार के निष्पादन के समय विद्यमान मात्रा या संविदा क्षेत्र में तत्पश्चात् अस्तित्व में आई कथित वन उपज होगी, उन सबको वन ठेकेदार, संविदा क्षेत्र के निरीक्षण के पश्चात् "कूप बाउन्डरी सर्टिफिकेट" देने के दिनांक से दिनांक ..... मास ..... सन् ..... दोनों दिन शामिल, इसके पश्चात् लिखित शर्तों के अनुसार वन ठेकेदार एकत्रित कर सकता है और ले जा सकता है।

(3) उपरोक्त नियम 2 के आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रदान करने के एक माह के भीतर, वन ठेकेदार दिनांक ..... माह ..... सन् ..... के पूर्व कथित वन उपज को एकत्रित करने का और ले जाने का कार्य प्रारम्भ करेगा और ..... (इसके पश्चात् कथित अधिकारी निर्दिष्ट होगा) या अन्य अधिकारी जिसको कथित अधिकारी नामांकित करे, की पूर्ण सन्तुष्टि पर सतत: एवं समुचित प्रगति संविदा की अवधि में पूर्ण करेगा।

(4) (1) वन ठेकेदार द्वारा कथित वनोपज के लिये देय प्रतिफल और उसके पटाने की रीति नीचे बताये गये प्रपत्र मे विनिर्दिष्ट अनुसार होगी -

प्रतिफल की कुल राशि	किश्तों की संख्या एवं राशि	किश्तों के पटाने की तिथियाँ	कोषालय या उप-कोषालय जहाँ राशि जमा की जावेगी

(4) (2) सभी भुगतान जो कि उपनियम (1) के अन्तर्गत कोषालय या उप कोषालय में किये जावेंगे, वे चालान द्वारा दिये जावेंगे जो कि वन ठेकेदार द्वारा कथित अधिकारी के कार्यालय से या ऐसे अन्य कार्यालय से जैसा कि कथित अधिकारी निर्देशित करे, से प्राप्त किया जावेगा। अन्य किसी तरीके से किया भुगतान इस संविदा के अन्तर्गत किया गया भुगतान नहीं माना जावेगा।

नोट - अब भुगतान वन मण्डलाधिकारी के नाम से बैंक ड्राफ्ट/चेक से भी किया जा सकता है लेकिन भुगतान उसकी रकम प्राप्त होने पर माना जावेगा।

(5) निम्न सारिणी में विनिर्दिष्ट मार्गों द्वारा कथित वन उपज संविदा क्षेत्र से वन ठेकेदार द्वारा ले जाई जावेगी, और इस सारिणी में विनिर्दिष्ट एक या अन्य डिपो में जाँच के लिये प्रस्तुत की जावेगी -

मार्ग जिसके द्वारा वन उपज ले जाई जावेगी (1)	डिपो जहाँ पर वन उपज जाँच के लिये प्रस्तुत की जावेगी (2)

(6) वन ठेकेदार समय-समय पर संशोधित वन संविदा नियम (जिसकी एक प्रति वन ठेकेदार को दी है और जिसकी प्राप्ति वन ठेकेदार यहां स्वीकार करता है) के अध्याधीन होगा और वे नियम, जहाँ तक इसमें लागू हैं इस संविदा का भाग माने जावेंगे :

परन्तु नीचे दी गई, द्वितीय अनुसूची में प्रदर्शित तरीके से एवं सीमा तक कथित नियम परिवर्धित माने जावेंगे।

(7) वन ठेकेदार एतद्द्वारा, अपने आपको आपेक्षित सभी कर्त्तव्यों एवं कार्यों को करने के लिये बाध्य करता है और भारतीय वन अधिनियम, 1927 वन संविदा नियम और इस संविदा द्वारा निषेध किये गये कोई कार्य करने से अपने आपको, अपने नौकरों एवं अभिकर्ताओं को बचाये रखने के लिए बाध्य करता है और भारतीय वन अधिनियम, वन संविदा नियम या संविदा के अन्तर्गत स्वत: के द्वारा की गई प्रत्येक भूल या उसके नौकरों, अभिकर्ताओं द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य, जो कि भारतीय वन अधिनियम, वन संविदा नियम या इस संविदा के उल्लंघन में हो उसके लिये वन ठेकेदार, राज्यपाल को ..... रुपये पटाने के लिए सहमत होता है।

(8) वन ठेकेदार नीचे दी गई अनुसूची में, विनिर्दिष्ट तिथियों को या उसके पूर्व, सभी वन उपज, जो इसके द्वारा संविदा क्षेत्र से ले जायी गयी है, उसका विवरण कथित अधिकारी को या वह अधिकारी जिसके लिये निर्देश दे, प्रस्तुत करेगा।

(9) इस संविदा की किसी शर्त के निर्वचन, या पालन (कार्य करने) के सम्बन्ध या उसके भंग होने के सम्बन्ध में, शंका या विवाद पक्षकारों के मध्य उत्पन्न होने की दशा में, मामला ..... तो निर्देशित किया जावेगा जिसका निर्णय उसके पक्षकारों के लिये अन्तिम और बन्धनकारी होगा।

प्रथम अनुसूची

(खंड (1) के अनुसार)

वन उपज का वर्णन	क्षेत्र जहाँ स्थित है

द्वितीय अनुसूची

(खंड (6) के अनुसार)

सीमा व तरीका जिसमें वन संविदा नियम परिवर्धित माना जावेगा।

तृतीय अनुसूची

(खंड (8) के अनुसार)

तिथि, जिस पर या जिसके पूर्व वन ठेकेदार द्वारा ले जाई गई वन उपज का विवरण खंड (8) के अन्तर्गत प्रस्तुत करना है।

निम्न के साक्ष्य में, सम्बन्धित पक्षों ने प्रत्येक मामले में लिखे गये दिनांक तथा वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर किये -

साक्ष्य - 1. .....

2. तारीख .....

साक्ष्य - 1. .....

2. तारीख .....

प्रतिभूति बन्धनामा (Security Bond)

अतः उक्त संविदा की शर्तों का पूर्ण रूपेण पालन को सुनिश्चित करने के विचार से राज्यपाल ने वन ठेकेदार से प्रतिभूति माँगी है। अतः मैं ..... आत्मज ..... निवासी ..... पेशा ..... वन ठेकेदार की ओर से प्रतिभूति, वचन देता हूँ कि ठेकेदार द्वारा किये गये कोई कार्य भूल, असावधानी या व्यक्तिक्रम के सम्बन्ध में वन ठेकेदार के दायित्व की कोई भी राशि उक्त संविदा की शर्तों के अन्तर्गत या द्वारा को देय हो जाये, तो देने के लिये बाध्य रहूँगा।

मैं इस बात के लिये भी सहमत हूँ कि इस प्रतिभूति पत्र की शर्त के अन्तर्गत मेरे द्वारा राज्यपाल को देय कोई भी राशि, राजस्व की बकाया राशि के रूप में उसी प्रकार मुझसे वसूल योग्य होगी।

साक्ष्य - 1. प्रतिभू .....

2. तारीख .....

मैं इस प्रतिभूति को स्वीकार करता हूँ।

.....

.....

ठेकों के सम्बन्ध में विशेष

भारत के संविधान की धारा 209 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, इस सम्बन्ध में पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को रद्द करते हुए, एतद्द्वारा निर्देशित करते हैं कि नीचे

लिखे ठेके और सम्पत्ति के बीमा सम्बन्धी संविदाओं का मध्य प्रदेश शासन की ओर से निष्पादन निम्नानुसार किया जावेगा -

वन विभाग के सम्बन्ध में - वन विभाग के अन्तर्गत वनों के कार्यों से सम्बन्धित संविदाएँ या प्रशासन सम्बन्धित अनुबन्ध महानिदेशक, मुख्य वन संरक्षक, उप मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक, उप वन संरक्षक या सहायक वन संरक्षक द्वारा उस सीमा तक, जो राज्य समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे, निष्पादित करेंगे।

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग आदेश क्र. जी - 17-1.95-सी । चार दिनांक 5.10.95 द्वारा निम्नानुसार अधिकार अधिसूचित किये हैं -

	कार्य/ठेके का विषय	अधिकारी	अधिकार सीमा
(1)	ठेकों का निष्पादन		
	(अ) वन विभाग	प्रमुख वन संरक्षक	पूर्ण अधिकार
	द्वारा माल प्रदाय	मुख्य वन संरक्षक	25 लाख तक
		वन संरक्षक	10 लाख तक
		वन मण्डलाधिकारी	5 लाख तक
(2)	वन विभाग को	प्रमुख वन संरक्षक	25 लाख तक
	माल प्रदाय	मुख्य वन संरक्षक	15 लाख तक
		वन संरक्षक	10 लाख तक
(3)	तेन्दू पत्ता तथा अन्य वनोपज के संग्रहण हेतु एजेन्ट नियुक्त करने के ठेके	वनमण्डलाधिकारी	पूर्ण अधिकार
(4)	ठेकेदार/ठेके के मजदूरों को	प्रमुख वन संरक्षक	1 लाख तक
	अग्रिम की स्वीकृति	मुख्य वन संरक्षक	50 हजार तक
		वन संरक्षक	25 हजार तक
		वन मण्डलाधिकारी	10 हजार तक
		उप वन मण्डलाधिकारी	2 हजार तक
(5)	विभागीय संग्रहित या क्रय किये तेन्दु पत्ते के ठेके जब पूर्ण मूल्य प्रदाय के समय प्राप्त हो :	प्रमुख वन संरक्षक	1 लाख तक
	(अ) जब बिक्री हेतु टेण्डर आमन्त्रित हो -		
	(i) जब बिक्री दर शासन द्वारा स्वीकृत या अधिक हो	वन मण्डलाधिकारी	पूर्ण अधिकार
	(ii) जब मानक बोरा दर शासन की स्वीकृत दर से कम हो	इमारती लकड़ी के सम्बन्ध में स्वीकृत दर से कम मूल्य प्राप्ति से सदृश्य अधिकार	
	(ब) जब नीलाम से विक्रय हो तथा दर शासन की स्वीकृत दर से कम न हो	वन मण्डलाधिकारी	पूर्ण अधिकार
	(iii) जब दर शासन की स्वीकृत दर से कम हो	वन संरक्षक	पूर्ण अधिकार
	(स) जब विक्रय बातचीत से हो	राज्य शासन	पूर्ण अधिकार
(6)	इमारती लकड़ी के अतिरिक्त विभागीय संग्रहित क्रय की गई अन्य विनिर्दिष्ट वनोपज का टेन्डर खुले विक्रय जब भुगतान प्रदाय से पूर्व प्राप्त हो-		
	(अ) जब दर शासन द्वारा निर्धारित दर के समान या अधिक है।	वन मण्डलाधिकारी	पूर्ण अधिकार (शासन की पूर्ण स्वीकृति के अधीन)

	(ब) जब दर शासन द्वारा निर्धारित दर से कम है।	प्रमुख वन संरक्षक मुख्य वन संरक्षक वन संरक्षक वन मण्डलाधिकारी	10 लाख तक 5 लाख तक 2 लाख तक 1 लाख तक
	(स) जब शासन द्वारा कोई दर स्वीकृत न हो।	प्रमुख वन संरक्षक मुख्य वन संरक्षक वन संरक्षक वन मण्डलाधिकारी	5 लाख तक 3 लाख तक 2 लाख तक 1 लाख तक
(7)	वनोपज एवं परिवहन ठेके की स्वीकृति	प्रमुख वन संरक्षक मुख्य वन संरक्षक वन संरक्षक वन मण्डलाधिकारी	10 लाख तक 8 लाख तक 5 लाख तक 3 लाख तक
(8)	वन मजदूर सहकारी समिति ग्राम वन समिति तथा वन सुरक्षा समिति को ठेके की स्वीकृति	प्रमुख वन संरक्षक मुख्य वन संरक्षक वन संरक्षक वन मण्डलाधिकारी	10 लाख तक 8 लाख तक 3 लाख तक 1 लाख तक
(9)	वन अपराध, में या वन प्राणी अपराध की सूचना देने वाले को	वन मण्डलाधिकारी	1,500/- तक

नोट - (1) अतिरिक्त प्रमुख वन संरक्षक, कार्य वितरण के अनुसार प्रमुख वन संरक्षक के अधिकार का उपयोग करेंगे।

(2) अन्य योजनाओं जैसे फारेस्ट्री प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर, नेशनल पार्क, वर्किंग प्लान, डिपो विक्रय अधिकारी आदि उनके समकक्ष अधिकारी को प्रदत्त अधिकारी का उपभोग करेंगे।

(2) स्टाम्प फीस से मुक्ति - राज्य शासन ने भारतीय स्टाम्प एक्ट, 1899 की धारा 9 के खण्ड (a) में प्रदत्त शक्ति के अनुसार निम्न प्रकार के अनुबन्धों को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त करता है :

"इकरारनामा" एवं "जमानतनामा" जो उसके जमानतदार द्वारा दिया गया हो एवं म. प्र. वन सेवा शर्तों पर नियुक्ति, पदोन्नति के समय लगने वाले 'इकरारनामे (Agreement Bonds) एवं जमानतनामे (Security Bonds)

(ii) वन विभाग के खड़े वृक्षों या अन्य, वनोपज के ठेके:

(iii) वन उपज के ठेकों के जमानतदारों को (स्टाम्प एक्ट 1899, शिड्यूल 1 का अर्टिकल (57) के अनुसार स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना होगा)।

(3) काली सूची में नाम डालना (Black Listing) - ऐसे ठेकेदार, जो बार-बार संविदा भंग करते हैं, एवं गम्भीर अवैध कार्य करते हैं, को हानि की वसूली के अतिरिक्त कम से कम दो वर्ष के लिये 'काली सूची' में नाम डालना चाहिए। यह अवधि पाँच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। यह आदेश मण्डलाधिकारी की पहल पर वन संरक्षक द्वारा परित किया जावेगा। आदेश पारित करने के पूर्व अवहेलना करने वाले (Defaulter) को 'कारण बताओ' सूचनापत्र देना चाहिये तथा उसकी ओर से सुनवाई के उपरान्त ही आदेश पारित होना चाहिए। अवहेलना करने वाले ठेकेदार को 'प्राकृतिक न्याय' (Natural Justice) मिलना चाहिये।

(4) जब ठेकेदार द्वारा देय किश्त न पटाई जावें, तो वन अधिकारी उसका कार्य रोक सकते हैं। ठेकेदार कोई नुकसानी का दावा नहीं कर सकता। (AIR 1979 Madhya Pradesh 89 M.P.L.J., 1979, 161 (PB)